GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS
DEPARTMENT OF SPORTS
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO-151
ANSWERED ON- 20/07/2023

SPORTS QUOTA IN GOVERNMENT JOBS

151. SHRI HARBHAJAN SINGH:

Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state :

(a) details of the vacancies in various Government jobs under sports quota, department-wise and total vacancies;
(b) whether there is any action plan to fill up these vacancies in a time bound manner;
(c) if so, the details thereof, if not, the reasons therefore; and
(d) whether Government will consider the suggestion to increase sports quota in Government jobs to promote sports in the country and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS
(SHRI ANURAG SINGH THAKUR)

(a) to (d): Reservation under sports quota is governed by the consolidated instructions issued by the Department of Personnel & Training (DoP&T) on 3rd October, 2013 vide their OM No. 14034/01/2013-Estt.(D) on incentives for sportspersons. As per extant instructions, Ministries and Departments can recruit meritorious sportspersons to Group 'C' posts under the Government of India upto 5% of the direct recruitment vacancies in any year. However, the data regarding recruitment made by various Ministries / Departments is not maintained by this Ministry.

*****

•-• https://www.staffnews.in •-•

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 151
उत्तर देने की तारीख 20 जुलाई, 2023
29 आषाढ़, 1945 (शक)

सरकारी नौकरियों में खेल कोटा

151 श्री हरभजन सिंहः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खेल कोटा के तहत विभिन्न सरकारी नौकरियों में रिक्तियों का विभाग - वार और कुल रिक्ति-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने की कोई कार्य योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटा बढ़ाने के सुझाव पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ) : खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.10.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं 14034/01/2013-स्थापना(डी) द्वारा जारी समेकित अनुदेशों के तहत खेल कोटा के अंतर्गत आरक्षण दिया जाता है । विद्यमान अनुदेशों के अनुसार विभिन्न मंत्रालय और विभाग किसी भी वर्ष के लिए सीधी भर्ती रिक्तियों में से भारत सरकार के समूह 'ग' के पांच प्रतिशत रिक्त पदों पर मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति कर सकते हैं । तथापि, यह मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई भर्ती से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है ।

****

•-• https://www.staffnews.in •-•